पत्रावली सं0 221/2019 सरकार बनाम रामेश्वर लाल पुत्र दुरजा राम

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
6-11-19	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री दुरजा राम जाति जाट निवासी मोमपुरा ने फसल रबी/खरीफ सम्वत/सन् 2076 में गांव/चक नं0 रामसरा कुम्हारान के मु0 नं0 113 में .... बीघा सिंचित व .... असिंचित कुल 0-607 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद के उपस्थित नहीं अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पेनल्टी राशि रू0 243 अक्षरे रू0 दो सौ तरतालीस रूपये अधिरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुदा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावें टी0 आर0 ए0 को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावें पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावें। तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Bishnoi
Date: 2019.11.20 15:39:46 IST
Reason: SelfAttested